सेवा में,

श्री मान् केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
सतर्कता अनुभाग
पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
केन्द्रीय कार्यालय
गुड़गांव

विषय - सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन

महाशय,
निवेदन है कि मैं पावरग्रिड में व्याप्त भ्रष्टाचार के आलोक में केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली को दिनांक 16-06-2016 में ही शिकायत किया था। जिसको केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन सं० 395461/2016 दिनांक 19-07-2016 द्वारा उचित कार्यवाही के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी पावरग्रिड को अग्रसारित किया गया था। लेकिन 02 वर्ष बीत जाने के बावजूद धरातल पर कोई कार्यवाही नजर नहीं आ रही है।
यदि आने वाले कुछ समय में यही स्थिति रही तो मैं माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने को बाध्य हो जाऊँगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में निम्न सूचनाएँ उपलब्ध कराएँ।

(1) मुख्य सतर्कता अधिकारी, पावरग्रिड द्वारा उक्त शिकायत की प्राप्ति की तिथि से अब तक क्या कार्रवाई की गई है। तिथिवार विवरण उपलब्ध करायें।

(2) सतर्कता अनुभाग, पावरग्रिड जाँच के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा प्रदत्त 90 दिन की समय-सीमा को कितना बढ़ा सकती है। स्पष्ट करें।

P.T.O

(3) इस जांच में अत्यधिक विलंब के लिए कौन जिम्मेदार हैं। विवरण उपलब्ध करायें।

(4) यदि जांच समाप्त हो गई हो तो रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करायें

(5) श्री अरुण कुमार सिंह पावरग्रीड सब स्टेशन पूर्णियाँ (बिहार) में कब से पदस्थापित हैं। तिथि उपलब्ध करायें।

(6) श्री सुरेन्द्र कुमार पावरग्रीड सब स्टेशन पूर्णियाँ (बिहार) में कब से पदस्थापित हैं। तिथि उपलब्ध करायें।

(7) श्री प्रणव प्रकाश झा पावरग्रीड पूर्णियाँ में कब से पदस्थापित हैं। तिथि उपलब्ध करायें।

(8) श्री रामदेव राय पावरग्रीड पूर्णियाँ में कब से पदस्थापित हैं। तिथि उपलब्ध करायें।

(9) श्री बंशीधर सिंह पावरग्रीड पूर्णियाँ में कब से पदस्थापित हैं। तिथि उपलब्ध करायें।

मैं भारत का नागरिक हूँ तथा I.P.O- 10 रु० का संलग्न कर भेज रहा हूँ जिसकी सं०- 45F610219 है

पत्राचार का पता
कंचन कुमार
ग्राम - अशोकनगर
पो० - नौलखी
थाना - मुरलीगंज
जिला - पूर्णियाँ
पिन - 852122
(बिहार)

विश्वासभाजन
कंचन कुमार
22-09-2018

(457)